उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-3/2020/अ0मु0स0-16/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊः दिनॉक: 07 फरवरी, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, वर्ष, 2012) की धारा-59 की उपधारा-(1) व उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम नंगलातासी कासमपुर, तहसील सदर जनपद-मेरठ स्थित खसरा संख्या 947 रकबा 4.6680 में से 8400 वर्गमीटर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1 राज्य सरकार के रूप में दर्ज है, का इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों /वी0वी0पैट के भण्डारण हेतु गोदाम/वेयर हाउस/ जिला निर्वाचन कार्यालय मेरठ के भवन निर्माण हेतु नि:शुल्क हस्तांतरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1). प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण के पश्चात निर्वाचन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जाएगी।
(2). प्रस्तावित भूमि का उपयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों/वी0वी0पैट के भण्डारण हेतु गोदाम/वेयर हाउस/ जिला निर्वाचन कार्यालय मेरठ के भवन निर्माण हेतु ही किया जाएगा।
(3). निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर भूमि वापस राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।
(4). उपर्युक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या- अ0मु0स0-16(1)/एक-1-2020-रा0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4- जिलाधिकारी, मेरठ को उनके पत्र संख्या-300/सात-डीएलआरसी/2017 दिनांक-26/12/2017 के क्रम में।
5- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 1307/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017, दिनांक-19/11/2019
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in